

बिहार सरकार  
कृषि विभाग

Mail/Fax

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-24/2013-188 आद्यत्न/कृ०, पटना, दिनांक 30/11/2013

प्रेषक,

रामजी सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
भागलपुर/गया/बांका/जहानाबाद/नालन्दा/लखीसराय/शिवहर/अरवल/जमुई।

विषय : खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2013-14 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 769.0625 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 15.435 करोड़ रुपये, कुल 784.4975 करोड़ रुपये (सात अरब चौरासी करोड़ उनचास लाख पचहत्तर हजार रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि में से जिला पदाधिकारी, रोहतास तथा जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा प्रत्यर्पित ₹5,03,75,745 (पाँच करोड़ तीन लाख पचहत्तर हजार सात सौ पैतालिस रु०) के अंतर्गत अन्य संबंधित जिलों को स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से ₹5,03,75,745 (पाँच करोड़ तीन लाख पचहत्तर हजार सात सौ पैतालिस रु०) मात्र की राशि निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹5,03,75,745 (पाँच करोड़ तीन लाख पचहत्तर हजार सात सौ पैतालिस रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-5926 दिनांक-29.11.2013 द्वारा खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2013-14 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 769.0625 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 15.435 करोड़ रुपये, कुल 784.4975 करोड़ रुपये (सात अरब चौरासी करोड़ उनचास लाख पचहत्तर हजार रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु पूर्व में स्वीकृत राशि में से जिला पदाधिकारी, रोहतास तथा जिला पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा प्रत्यर्पित ₹5,03,75,745 (पाँच करोड़ तीन लाख पचहत्तर हजार सात सौ पैतालिस रु०) के अंतर्गत अन्य संबंधित जिलों को स्वीकृति के लिए अवशेष राशि में से ₹5,03,75,745 (पाँच करोड़ तीन लाख पचहत्तर हजार सात सौ पैतालिस रु०) मात्र की राशि निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹5,03,75,745 (पाँच करोड़ तीन लाख पचहत्तर हजार सात सौ पैतालिस रु०) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹5,03,75,745 (पाँच करोड़ तीन लाख पचहत्तर हजार सात सौ पैतालिस रु०) मात्र का व्यय बजटशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0103-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्र कोड-P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-56 83, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2013-14 के मूल बजट में उपबंधित 100.00 करोड़ रुपये (एक अरब रु०) तथा वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-ब०-16/बी०सी०ए०-111/2013 दिनांक-30.08.2013 द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत 150.00 करोड़ रुपये, बजटशीर्ष में कुल उपबंधित राशि 250.00 करोड़ रु एवं प्रत्यर्पित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

*रामजी सिंह*

विश्वासभाजन

*(15/30/11/13)*

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 188 आवेदन

/क०, पटना, दिनांक 30/11/2013

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(188) 30/11/13  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 188 आवेदन

/क०, पटना, दिनांक 30/11/2013

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, पी० पी० एम०, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, (बीज) कृषि विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(188)

(188) 30/11/13  
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग।

खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपालकालीन स्थिति में वर्ष 2013-14 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5926 दिनांक-29.11.2013 का आवंटन विवरणी।

विपत्र कोड-P2401001090103  
(राशि रुपये में)

क्रम सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कुल स्वीकृत राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4
1	जिला पदाधिकारी, भागलपुर।	18,68,561	18,68,561
2	जिला पदाधिकारी, गया।	1,47,00,000	1,47,00,000
3	जिला पदाधिकारी, बांका।	92,40,000	92,40,000
4	जिला पदाधिकारी, जहानाबाद।	1,26,00,000	1,26,00,000
5	जिला पदाधिकारी, नालन्दा।	11,00,000	11,00,000
6	जिला पदाधिकारी, लखीसराय।	28,704	28,704
7	जिला पदाधिकारी, शिवहर।	18,49,239	18,49,239
8	जिला पदाधिकारी, अरवल।	21,00,000	21,00,000
9	जिला पदाधिकारी, जमुई।	68,89,241	68,89,241
	कुल	5,03,75,745	5,03,75,745

कुल-(पाँच करोड़ तीन लाख पचहत्तर हजार सात सौ पैतालिस रु० मात्र)

*कुल*

*15/3/13*

(रामजी सिंह)  
सरकार के संयुक्त सचिव  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।